<u>प्रेस वज्ञप्ति</u>

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली
27 मार्च, 2023

संघ सरकार (आ र्थक एवं सेवा मंत्रालय - स वल) पर सीएजी की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लए संघ सरकार (आ र्थक एवं सेवा मंत्रालय - स वल) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2023 की अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 1 आज संसद में प्रस्तुत की गई।

इस प्रतिवेदन में छह मंत्रालयों (कोयला, वत्त, आवासन और शहरी कार्य, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खान और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग) और उनके स्वायत्त निकायों से संबं धत 12 व्यक्तिगत अभ्युक्तियाँ शा मल हैं। प्रतिवेदन में शा मल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

कोयला मंत्रालय

कोयला खान भ वष्य नि ध संगठन

कोयला खान भ वष्य नि ध संगठन ने दीवान आवास वत्त निगम ल मटेड के गैर-परिवर्तनीय डबेंचरों में ₹1390.25 करोड़ (मई 2015 से फरवरी 2018 की अव ध के दौरान) का निवेश कया। निवेश में ₹864 करोड़ की रा श के गैर-परिवर्तनीय डबेंचर शा मल थे, जिसका एक प्रारं भक मोचन उपनियम था, जो गैर-परिवर्तनीय डबेंचर की क्रे डट रेटिंग एए- या नीचे गरने की स्थिति में उपार्जित ब्याज के साथ परिपक्वता से पहले निवेश के निपटान का अ धकार प्रदान करता है। ₹526.25 करोड़ की रा श के शेष गैर-परिवर्तनीय डबेंचरों में प्रारं भक मोचन का ऐसा उपनियम नहीं था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया क मार्च 2019 से गैर परिवर्तनीय डबेंचरों की रेटिंग को कम करने/ गराए जाने और प्रारं भक मोचन वकल्प का उपयोग करने के पोर्टफो लयो प्रबंधकों की सफारिशों के बावजूद, कोयला खान भ वष्य नि ध संगठन वकल्प का उपोयोग करने में वफल रही और कसी निर्णय पर नहीं पहुंची जिसके परिणामस्वरूप ₹315.35 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा **2.1)**

कोयला खान पेंशन योजना **1998** और कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना **1976** का संचालन

1. कोयला खान पेंशन योजना**, 1998**: लेखापरीक्षा ने निम्न ल खत मामले देखे:

- खान श्र मकों की अपर्याप्त कवरेज
- पेंशन मामलों की प्राप्ति और निपटान में वलंब
- पेंशन का गलत निर्धारण
- योजना के प्रावधानों का पालन न करना/ वचलन
- अ धक पेंशन सं वतरण के मामले
- निगरानी और नियंत्रण तंत्र की कमी

2. कोयला खान जमा संबद्ध बीमा योजना**, 1976**: लेखापरीक्षा के दौरान निम्न ल खत मामले देखे गए:

- इस योजना के सदस्यों से योगदान का संग्रह न करना
- गैर-अंशदाताओं पर क्षति प्रभारों का उदग्रहण न करना
- लेखाओं के रखरखाव के लए जांच शुल्क का उदग्रहण और संग्रह न करना जो योजना के प्रावधानों का वचलन है
- योजना की शुरुआत से ही प्रशासनिक प्रभारों में संशोधन न करना

(पैरा **2.2)**

वत्तीय सेवाएँ वभाग

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में पाई गई क मयां

वत्तीय सेवा वभाग (डीएफएस) ने ऋण वृद् ध के लए पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण कया, नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा कया, भारतीय रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत आने वाले बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी को इससे बाहर निकलने और पीएसबी के समामेलन के कारण पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लए सुसज्जित कया। लेखापरीक्षा ने निम्न ल खत देखा:

- डीएफएस ने 2017-18 में देश का सबसे बड़ा पीएसबी मानते हुए एसबीआई में ऋण वृद् ध के लए ₹8,800 करोड़ का निवेश कया, यद्य प कोई मांग नहीं की गई थी। डीएफएस ने पुनर्पूंजीकरण से पहले अपनी मानक प्रथा के अनुसार पूंजी की आवश्यकता का निर्धारण नहीं कया।
- डीएफएस ने पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द् (आरबीआई)वारा निर्धारित मानदंडों के अतिरिक्त कुशन पर वचार कया। आरबीआई ने पहले ही भारत में बैंकों पर अतिरिक्त 1 प्रतिशत की बढ़ी हुई पूंजी आवश्यकता निर्धारित की थी। इससे ₹7,785.81 करोड़ का अतिरिक्त निवेश हुआ।

- डीएफएस ने 2019-20 में ₹33 करोड़ की रा श अभ्य पत करने से बचने के लए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ₹831 करोड़ का निवेश कया, जब क बैंक ने ₹798 करोड़ की मांग की थी।

(पैरा **3.1)**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केन्द्रीय लोक निर्माण वभाग

सामान्य पूल आवासीय आवास, जहां मीटरों द्वारा जल आपूर्ति को वनिय मत नहीं कया जाता है, के जल शुल्कों की दर का निर्णय सीपीडब्ल्यूडी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कया जाएगा और जल शुल्क में समय समय पर संशोधन कया जाएगा और डीओई द्वारा परिचा लत कया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया क 'एन' डवीजन में सीपीडब्ल्यूडी, आबंटियों से वसूल की गई रा श की तुलना में नई दिल्ली नगर निगम द्वारा जलापूर्ति का ज्यादा भुगतान कर रही है। इसका कारण पछले 16 से 27 वर्षों से जल प्रभारों की वसूली के लए व्यक्तिगत जल मीटरों का अ धष्ठापन न करना और दरों में संशोधन न करना था। इसके परिणामस्वरूप सीपीडब्ल्यूडी पर ₹7.69 करोड़ का वत्तीय बोझ पड़ा।

(पैरा **4.1)**

पुष्पा भवन, दिल्ली के संदर्भ में वास्त वक खपत अनुबंध मांग से निरंतर कम थी। यद्य प 100 कलोवॉट (केडब्ल्यू) से अ धक कनेक्शनों के लए मूल ऊर्जाकरण की ति थ से दो वर्ष बाद सं वदा मांग में कमी का प्रावधान था। पुष्पा भवन के संबंध में के.लो.नि. व. प्रभाग द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया गया, जिससे ₹44.62 लाख की परिहार्य हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर केन्द्रीय लोक निर्माण वभाग द्वारा अनुबंध मांग और स्वीकृत भार में कमी की गई। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुसरण करते हुए, सीपीडब्ल्यूडी निदेशालय ने ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने के लए निर्देश (दिसम्बर 2021) भी जारी कए हैं, जहां वास्त वक अ धकतम मांग अनुबंध मांग से कम है।

(पैरा **4.2)**

नई पेंशन योजना (अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंशदान से पुरानी पेंशन योजना (जीपीएफ अंशदान) में पुनः लौटने पर, न्यायालय के आदेश के अनुसार, सीपीडब्ल्यूडी ने एनएसडीएल से प्राप्त एनपीएस अंशदान की समस्त राशी को बिना सरकारी हिस्से और उस पर ब्याज को समायोजित कए, कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में क्रे डट कर दिया है। स्पष्ट रुप से, नौ मामलों में, जीपीएफ खातों में जमा ₹0.69 लाख के दंडात्मक ब्याज सहित ₹19.62 लाख की रा श लेखापरीक्षा के कहने पर वसूली गई और सरकारी खातों में हस्तांतरित की गई थी। सीपीडब्ल्यूडी को अन्य समान मामलों का ववरण उपलब्ध कराने के लए अनुस्मारक भेजने के बावजूद कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

(पैरा **4.3)**

केंद्रीय लोक निर्माण वभाग द्वारा आवासों का अनुरक्षण

लेखापरीक्षा के दायरों में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की अव ध के लए घरों के रखरखाव से संबं धत गति व धयाँ शा मल थी। दिल्ली क्षेत्र में बजट शीर्ष राजस्व के तहत कए गए रखरखाव पर कुल व्यय का आकलन क्रमश: ₹1,197.50 करोड़ और ₹759.87 करोड़ था। सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) का लगभग 65 प्रतिशत हाउ संग स्टाक दिल्ली में स्थित है और तीन वर्षों की अव ध के दौरान, अनुरक्षण गति व धयों पर व्यय का 63.46 प्रतिशत अकेले दिल्ली क्षेत्र पर हुआ है। इस प्रकार, अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल दिल्ली क्षेत्र में मकानों के रख-रखाव से संबं धत गति व धयों पर ध्यान केंद्रित कया गया। लेखापरीक्षा का आशय कुशल योजना तंत्र, अनुरक्षण गति व धयों का कुशल निष्पादन और प्रभावी निगरानी और शकायत निवारण तंत्र का निर्धारण करना था। संक्षेप में प्रमुख लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ निम्नानुसार हैं:

- योजना महत्वपूर्ण अभ्यास है जो निर्णय लेने और सी मत संसाधनों के अ धकतम उपयोग को बढ़ाने में मदद करता है। लेखापरीक्षा में पाया गया क सीपीडब्ल्यूडी मंडल ने न तो वा षक कार्य योजना और न ही भवनों के रजिस्टरों को तैयार कया था। निर्धारित मानदंडों के अनुसार भवनों/संरचनाओं का भी निरीक्षण नहीं कया गया था। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा रखरखाव कार्यों की आवश्यकताओं के समयबद्ध मूल्यांकन और प्राथ मकता के लए एक कुशल योजना तंत्र की मौजूदगी के बारे में उ चत आश्वासन नहीं मल सका।

- कार्यों के निष्पादन के दौरान, मंडल द्वारा तकनीकी प्रतिनि ध की नियुक्ति न कए जाने के मामले देखे गए थे। इसके अलावा, साम ग्रयों का उपयोग न करने/सामग्री का कम उपयोग, गुणवत्ता परीक्षण के बिना सामग्री का उपयोग भी देखा गया था, जिसके कारण कार्यों को घटिया स्तर पर कया गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण वभाग के मैनुअल के प्रावधानों का साइट रजिस्टर में सामग्री के रखरखाव, साइट आर्डर बुक, निरीक्षण रजिस्टर आदि जैसे अ भलेखों के रख-रखाव के संबंध में अनुपालन नहीं कया गया था। वशेष कार्यों में, सं वदाकार के बिलों से न तो गारंटी बॉन्ड प्राप्त कए गए और न ही 10 प्रतिशत प्रतिभूति की कटौती की गई। वहाँ सं वदाकार को अनु चत लाभ देने के भी उदाहरण थे।

- डाटा वश्लेषण से सीपीडब्ल्यूडी की कार्यप्रणाली में कई क मयां जैसे शकायतों के निपटान में वलंब, वास्त वक कब्जे को सौंपने में वलम्ब आदि का पता चला। शकायतों के लम्बे समय तक निपटान में ढील थी जो कारण शकायतों के निपटानऔर निगरानी के अभाव को दर्शाता है जिसके कारण आवंटियों में असंतोष हुआ और क्वार्टर को देरी से सौंपे जाने में सरकारी राजकोष में राजस्व की हानि भी हुई। मैनुअल और निगरानी

तंत्र के कई प्रावधानों के अनुपालन न करने के मामले के उदाहरण देखे गए जैसे की ऑफलाइन शकायतों पर ध्यान देना, मानदंडों के अनुसार वास्त वक निरीक्षण न करना आदि।`

(पैरा 4.**4)**

सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

वकास आयुक्त कार्यालय **(**एमएसएमई**)**

वकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) ने सूक्ष्म और लघु उद्योग- क्लस्टर वकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृति से पहले व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में हरियाणा राज्य औद्यो गक और अवसंरचना वकास निगम ल मटेड (एचएसआईआईडीसी) को ₹50.50 लाख की अग्राह्य रा श जारी की। एचएसआईआईडीसी से रा श अभी वसूल की जानी थी।

(पैरा 5.**1)**

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स ल मटेड को ₹34.87 करोड़ की हेलीकॉप्टर खरीद का आदेश दिया (दिसम्बर, 2005)। 39,91,674 अमरीकी डालर (₹19.17 करोड़ के बराबर) की लागत से मैसर्स पीआईसीओ इन्वायरोटेक इंक., कनाडा को हैलीबोर्न भू-भौतिकीय सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली के लए खरीद आदेश भी जारी कया गया (मार्च 2009)। हैलीबोर्न सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली की खरीद में देरी के कारण हेलीकॉप्टर को मार्च 2009 से हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स ल मटेड की संदत्त अनुरक्षण और सुर क्षत अ भरक्षा में रखा गया था। मई 2014 में परीक्षण उड़ान के दौरान हेलीबोर्न सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद, मरम्मत के बाद भी बार-बार तकनीकी खराबियों के कारण काफी कम हेलीबोर्न सर्वेक्षण कया जा सका। हेलीबोर्न प्रणाली और हेलीकॉप्टर की तकनीकी बाधाओं से जूझते भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हेलीकॉप्टर के साथ-साथ भू-भौतिकी सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली को भी हटाने का प्रस्ताव रखा (जुलाई 2017)। बाद में खान मंत्रालय ने केवल हे लकॉप्टर हटाने को मंजूरी दी थी (सतम्बर 2017)। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हेलीकॉप्टर को ₹9.22 करोड़ की कीमत पर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स ल मटेड को सौंप दिया (मई 2019) जब क हे लबोर्न भूभौतिकी सेंसर सर्वेक्षण प्रणाली अभी भी बेकार पड़ा था। लेखापरीक्षा ने पाया क कम लागत–लाभ वश्लेषण के साथ-साथ खरीदने से पहले हेलीकॉप्टर एवं भूभौतिकी सर्वेक्षण प्रणाली के तकनीकी पहलुओं के मूल्यांकन में उ चत सावधानी नहीं बरतने के परिणामस्वरूप ₹81.88 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ। साथ ही इस प्रकार की खरीद का मूल उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ क्यों क भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 3 लाख लाइन कमी. सर्वेक्षण के अपने परिकल्पित लक्ष्य में से मात्र दो प्रतिशत सर्वेक्षण ही कर पाया था।

(पैरा **6.1)**

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की भू मका

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना देश में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने के लए एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में की गई थी जिसके वत्तपोषण का स्रोत एनएमईटी अंशदान था। खनन पट्टाधारियों अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टाधारकों को राज्य सरकार को देय रॉयल्टी के दो प्रतिशत की दर से एनएमईटी अंशदान का भुगतान करना होता है। एनएमईटी के गठन के छह वर्षों के बाद भी अंशदान के मलान में गंभीर वसंगतियां मौजूद हैं। प्रतिपूर्ति शुरू करने में वलंब, भारतीय खनिज अन्वेषण निगम ल मटेड/भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अवांछित निर्भरता, निजी अन्वेषण परियोजनाओं की भागीदारी के अभाव, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की कमी तथा परियोजना प्रस्तावों की पर्याप्त संवीक्षा नहीं होने के कारण आवंटित बजट के उपयोग में लगातार गरावट देखी गई थी।

इसके अलावा, एनएमईटी द्वारा अनुमोदित अन्वेषण परियोजनाएं थोक खनिजों की ओर झुकी हुई थीं और इसने रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण को आवश्यक प्राथ मकता नहीं दी जो इसके स्थापना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। तकनीकी-सह-लागत स मति द्वारा परियोजनाओं की निष्ठापूर्वक संवीक्षा में भी क मयां थीं।

यद्य प एनएमईटी का आरंभ से ही एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने का इरादा था, खान मंत्रालय का अनु चत नियंत्रण और पूर्ण स्वायत्तता के अभाव में कई प्रशासनिक और कार्यात्मक समस्याएं आयीं जैसे इसका पृथक बजट अथवा वा र्षक लेखे नहीं बने। इसके परिणामस्वरूप अब तक (अक्टूबर 2022) वा र्षक लेखाओं की कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।स्वायत्तता के अभाव में, एनएमईटी न केवल अपने इच्छित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में वफल रहा बल्कि उसे वत्त पोषण प्रदान करने में भी संगठित ढंग से प्रबं धत नहीं कया गया था। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त नियंत्रण तंत्र का वकास न होने और पृथक बजट तैयार न करने के कारण एनएमईटी के कार्यों की प्रभावकारिता और अर्थव्यवस्था प्रभा वत हुई है। इन सब से देश में खनिज अन्वेषण की आवश्यकता को पूरा करने के लए आवश्यक प्रोत्साहन में कमी हुई।

(पैरा **6.2)**

पत्तन**,** पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट

कोलकाता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी ल मटेड द्वारा सं वदा प्राप्त मैसर्स दिनेश चन्द्र अग्रवाल इंफ्राकॉन प्रा. ल मटेड को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के हल्दिया डॉक काम्पलेक्स बिना कसी प्रभार और बिना सक्षम प्रा धकारी के अनुमोदन के भू म का आवंटन कया (फरवरी 2016)। पत्तन ने फरवरी 2016 से जनवरी 2017 तक की अव ध के लए लाइसेंस शुल्क के लए

(जनवरी 2017 और जून 2017) बीजक तैयार कया और इसके बाद उसको रोक दिया क्यों क ठेकेदार द्वारा कोई भुगतान नहीं कया गया था। ठेकेदार ने बिना कसी प्रभार के लगभग पांच वर्षों के लए सड़क उपरिपुल सह फ्लाईओवर के निर्माण के पूरा होने पर कसी लाइसेंस शुल्क का भुगतान बगैर भू म को खाली कया (जनवरी 2021)। इस प्रकार, पत्तन ने बिना कसी प्रभार के भू म आबंटन द्वारा सं वदाकार को अनु चत लाभ दिया जिससे पत्तन को ₹4.06 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

(पैरा *7*.**1)**

वशाखापत्तनम पत्तन प्रा धकरण

वशाखापत्तनम पत्तन प्रा धकरण में पर्यावरणीय मुद्दों का आंकलन

भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक वशाखापत्तनम पत्तन प्रा धकरण (वीपीए), भारत के पूर्वी तट पर वर्ष 1933 में स्था पत कया गया था। वत्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वीपीए ने 207.86 म लयन टन के व भन्न कार्गो को संभाला है। वीपीए द्वारा उठाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करने और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों और उनकी प्रभावशीलता, पर्याप्तता और अनुपालन के प्रवर्तन में भू मका की समीक्षा करने के लए 2018-19 से 2020-21 तक तीन वर्षों की अव ध के लए "वीपीए में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का आकलन" पर लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान की गई मुख्य अभ्युक्तियाँ इस प्रकार हैं:

- वशाखापत्तनम पत्तन प्रा धकरण द्वारा व भन्न पार्टियों के साथ पत्तन की भू म पट्टे पर देने के लए दीर्घका लक पट्टा करार यह निर्धारित करते है क पट्टेदारों को प्रदूषणरोधी उपाय के रूप में उन्हें आवंटित क्षेत्र के 10 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करना चाहिए, जिसमें वफल रहने पर रखरखाव लागत सहित भू म के 10 प्रतिशत क्षेत्र के लए वृक्षारोपण की लागत का दोगुना हिस्सा बिना कसी नोटिस के पट्टेदारों से वसूल कया जाएगा। यद्य प 112.75 एकड़ में पट्टेदारों द्वारा निर्धारित शर्त का पालन नहीं कया गया था, तथा प पट्टेदारों पर ₹19.84 करोड़ का जुर्माना नहीं लगाया गया था।

- पोताश्रय जल गुणवत्ता प्रबंधन में कमी थी क्यों क यह देखा गया क लेड, घुली हुई ऑक्सीजन और कुल निलंबित ठोस पदार्थ, निर्धारित सहनीयता सीमा से अ धक पाए गए थे।

- यह पाया गया क आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रचालन के लए सहमति में निर्धारित सीमाओं से परे जल खपत और बहिस्रावों का वसर्जन कया गया था।

- वीपीए, वर्ष 2018 से 2021 (जुलाई 2021 तक) के दौरान, पीएम$_{10}$ के उत्सर्जन के संबंध में निर्धारित वा र्षक औसत मानकों को पूरा करने में वफल रहा।
- यद्य प आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वीपीए को निर्देश दिया है क वे सभी धूल भरे कार्गो के स्टैक यार्ड (कोयला और अन्य कार्गो) को तिरपाल से ढके। यह देखा गया क जनवरी 2019 से जून 2021 की अव ध के दौरान जांचे गए स्टैक में से 15 प्रतिशत स्टैक में कोई भी तिरपाल से ढका हुआ नहीं था और तिरपाल के साथ स्टैक का औसत सतह कवरेज धूल भरे कार्गो स्टैक का लगभग 60 प्रतिशत था।
- राष्ट्रीय हरित अ धकरण ने आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 'प्रदूषक भुगतान' के सद्धांत के तहत शास्ति लगाने का निर्देश दिया क्यों क वीपीए द्वारा इसे दिए गए आश्वासनों का अनुपालन नहीं कया गया था। राष्ट्रीय हरित अ धकरण के अनुदेशों के परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ₹1.97 करोड़ की शास्ति लगाई। आगे यह पाया गया क शास्ति का भुगतान करने के बाद भी वीपीए द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों की लगातार अननुपालन की जा रही थी।
- वीपीए द्वारा अपने डीजल जनरेटरों के संबंध में दर्ज ध्वनि का स्तर 75 डीबी (ए) की निर्धारित सीमा से अ धक था और 33 अवसरों में से 22 अवसरों में 102.7 डीबी (ए) तक था, जब 2018-19 से 2020-21 की अव ध के दौरान व भन्न डीजल जनरेटरों को अपतटीय टैंकर ट र्मनल बर्थ, एलपीजी बर्थ और ऑयल रिफाइनरी-I एवं II बर्थ पर परीक्षण कया गया था।
- आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भू मका में कमी थी क्यों क इसकी निगरानी और प्रवर्तन तंत्र बहुत कमजोर प्रतीत हुआ, जैसा क पानी की खपत के क्षेत्रों में इसकी निष्क्रियता, प्रचालनों के लए सहमति में निर्धारित मानदंडों से परे बहिस्त्राव का अ धक वसर्जन, पीएम का अ धक उत्सर्जन 10, सीवेज उपचार संयंत्र की स्थापना में देरी आदि से स्पष्ट है।

(पैरा **7.2)**

BSC/SS/N/